

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 1002(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्षद्वीप द्वीप समूह तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | प्रशासक एवं सचिव (पर्यावरण)
कवारति, | अध्यक्ष |
| 2. | उप वन संरक्षक
कवारति, | सदस्य |
| 3. | अधीक्षण इंजीनियर,
लोक निर्माण विभाग,
कवारति, | सदस्य |
| 4. | डा.आर. रामचंद्रन
सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़,
थिरूवानन्थपुरम् | सदस्य |
| 5. | निदेशक,
केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान,
कोचीन | सदस्य |

6. श्री डब्ल्यू. जी. थम्बोदुराई, सदस्य
मुख्य इंजीनियर और प्रशासक,
अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह संकर्म,
जलभूतल परिवहन मंत्रालय,
पोर्ट ब्लेयर
7. सदस्य सचिव, सदस्य सचिव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लक्षद्वीप
- II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—
- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सीज़ैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के, प्रस्तावों को परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;
- (ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हों तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :
- परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।
- (iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii)(क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।
- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।
- III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे लक्षद्वीप द्वीप-समूह प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन। अपक्षय के लिए अतिसुमेध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।
- IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।
- XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय कावारत्ती में स्थित होगा।
- XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव